राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक एफ.6(1)(35)/रोल्स/निर्वा/2016/843 जयपुर, दिनांक :– 9-2-2017

प्रेषक :– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति :– समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषयः– ECI NET पोर्टल पर मतदान केन्द्रों पर आश्वस्त आवश्यक सुविधाओं का अंकन बाबत।

प्रंसगः– विभाग के पत्र क्रमांक एफ.6(1)(1)/रोल्स/निर्वा/2013/1058 दिनांक 04.02.2014 एवं 3714 दिनांक 29.09.2016 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आयोग के पत्र दिनांक 27 जनवरी, 2014 द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान के केन्द्रों पर न्यूनतम आधारभूत सुविधाएं (Basic minimum facilities) इसके पश्चात समय–समय पर (Assured minimum facilities) (AMF) सुविधायुक्त मतदान केन्द्र स्थापित करने के निर्देश किए गये थे।

गतवर्ष मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन से पूर्व मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन कर AMF सुविधायुक्त स्थानों का चयन कर मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन/स्थान परिवर्तन आदि के प्रस्ताव टिप्पणी के साथ प्रेषित किए गए तथा AMF युक्त मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के प्रस्तावों पर विभाग द्वारा परीक्षणोपरान्त स्वीकार कर, आयोग से अनुमोदन कराया गया है। इसके बाबजूद ECI NET पोर्टल पर मतदान केन्द्रों पर आवश्यक न्यूनतम सुविधा (AMF) की उपलब्ध सूचना का विश्लेषण करने के उपरान्त बिन्दुवार विशेषतौर पर निम्न कमियां पाई गई है। इससे प्रतीत होता है कि सूचना का अंकन उसी ढंग से ECI NET में नही किया गया।

1. कच्चा भवन में मतदान केन्द्र(1) :– विगत कई वर्षों से राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल भवनों का निर्माण यथा राजीव गांधी पाठशालाऐं, अटल सेवा केन्द्र आदि का निर्माण करवाने के उपरान्त उदाहरणार्थ, भरतपुर जैसे जिले में 230 मतदान केन्द्र कच्चे भवन में दर्शाये गये है इसी प्रकार अलवर में 18 तथा सीकर जैसे जिले में 72 मतदान केन्द्र कच्चे भवनों में स्थापित होना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

2. मतदान भवन जीर्ण–शीर्ण (3):– 19 जिलो में विभिन्न संख्या में मतदान केन्द्र भवन जीर्ण–शीर्ण भवनों में स्थापित किया जाना दर्शाया गया है हर वर्ष पुनरीक्षण से पूर्व मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन के पश्चात् पुर्नगठन की गहन प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्य करवाने के उपरान्त अलवर में 241, भरतपुर में 233, सवाई माधोपुर में 236 भवन जीर्णशीर्ण अवस्था में इंगित करना मतदान केन्द्रों के पुर्नगठन का कार्य सन्देह उत्पन्न करता है।

3. मतदान केन्द्र सरकारी भवनों में स्थापित नहीं होना (4):– बिन्दु संख्या 4 में भीलवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़ जिलों में मतदान केन्द्र शत प्रतिशत सरकारी भवनों में दर्शाया गया है। परन्तु विभिन्न राजकीय भवनों के निर्माण यथा स्कूल भवन, अटल सेवा केन्द्र, पटवार घर आदि के निर्माण ग्राम पंचायत स्तर/ग्राम स्तर पर होने के उपरान्त गैर सरकारी भवनों की संख्या अलवर में 234, अजमेर में 145, बीकानेर में 170, चुरू में 180, जयपुर में 853, झुन्झुनूं में 103, जोधपुर में 263, कोटा में 151, सीकर में 160 एवं उदयपुर में तो सैकडों मतदान केन्द्र सरकारी भवनों में स्थापित की सूचना दर्शाया जाना भ्रामक प्रतीत होती है।

4. संस्था/धार्मिक स्थलों पर मतदान केन्द्र (5) :– समय–समय पर मतदान केन्दों के भौतिक सत्यापन विशेष तौर से वर्ष 2016 में अर्हता दिनांक 01.01.2017 से पूर्व मतदान केन्दों का भौतिक सत्यापन के पश्चात् मतदान केन्द्रों का पुर्नगठन का कार्य गहन प्रकिया अपनाकर सम्पादन किया गया। इस प्रकिया के दौरान निजी/धार्मिक स्थलों के भवनों को जहॉ सरकारी भवन उपलब्ध हो वहॉ स्थानान्तरित करने के निर्देश देते हुए प्रस्ताव चाहे गये थे, मात्र दौसा डूंगरपुर, झुंझुनू एवं प्रतापगढ़ जिले में यह सूचना शून्य दर्शायी गई है। विशेष तौर से अलवर, बासंवाडा, भरतपुर, चूरू, जयपुर, सीकर एवं उदयपुर जिलों में यह संख्या सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शित हो रही है, जो सरकारी भवनों की उपलब्धता को मध्यनजर रखते हुए यह संख्या उचित प्रतीत नहीं होती है।

5. मतदान केन्द्र भू–तल पर न होना (7) :– बिन्दु संख्या 7 में अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड, धौलपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, झुन्झुनूं, नागौर, प्रतापगढ़ एवं टोंक ने शून्य सूचना दर्शायी गई है। जबकि चूरू ने 295, जोधपुर ने 220 इसी प्रकार अन्य जिलो ने भी मतदान केन्द्र भू–तल पर नहीं होने की स्थिति दर्शायी है। जबकि वर्ष 2016 में पुर्नगठन के दौरान इसी बिन्दु पर भी ध्यान आकर्षित किया गया था कि मतदान केन्द्र प्रथम मंजिल आदि पर स्थापित न होकर जहॉ तक सम्भव हो भू–तल पर ही स्थापित होना चाहिये। उसके उपरान्त भी बासंवाडा में 45, चूरू में 295, जयपुर में 12, जोधपुर में 220 एवं सिरोही में 12 तथा इसी प्रकार अन्य विभिन्न जिलों में भी मतदान केन्द्र भू–तल पर स्थापित नहीं होना दर्शाया गया है। जबकि वर्ष 2016 में मतदान केन्द्र के पुर्नगठन के दौरान प्राप्त प्रस्तावों में इस प्रकार की कोई टिप्पणी अंकित नहीं थी कि अमुख मतदान केन्द्र भू–तल पर न होकर प्रथम या अन्य किसी तल पर स्थापित का प्रस्ताव था। इस प्रकार की प्रविष्टियां सत्य से परे प्रतीत होती है।

6. दो दरवाजे के भवन (8) :– वर्ष 2016 में पुर्नगठन के दौरान मतदान केन्द्र के भवन दो दरवाजो वाले स्थापित करने के भी निर्देश थे जबकि राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नये आधुनिक भवनों के निर्माण के पश्चात् भी कई–कई जिलो में हजारों–सैकडों मतदान केन्द्र एक दरवाजे के भवन में स्थापित होने का अंकन का भी पुर्नरावलोकन किया जाना आवश्यक है।

7. मतदान केन्द्र पर पानी पीने की व्यवस्था (10) :– राज्य सरकार द्वारा गॉव–गॉव ढाणी–ढाणी में विभिन्न योजनाओं में नलकूपों के साथ–साथ हेडपम्पों के निर्माण कार्य करवाया गया है। कई जिलों में पानी का अभाव की संख्या दर्शायी गई है। जिसको भी देखा जाना आवश्यक है।

8. बिजली की व्यवस्था :– बिन्दु संख्या 11 में मात्र प्रतापगढ़ जिले में संख्या शून्य दर्शायी गई है। शेष जिलों में काफी मात्रा में मतदान केन्द्रों में बिजली का अभाव बताया गया है। जबकि राज्य सरकार द्वारा गॉव–गॉव, ढाणी–ढाणी में विभिन्न योजनाओं में बिजली की आपूर्ति का प्रंबंध किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पाठकमों में कम्प्यूटर शिक्षा के अध्ययन केन्द्र स्थापित किये गये है तथा अटल सेवा केन्द्रों पर इन्टरनेट सेवा भी संचालित की गई है। इसको मध्यनजर रखते हुए इन मतदान केन्द्रों में बिजली की व्यवस्था का न होना भ्रांति पैदा करती है।

9. महिला व पुरूषों के लिए शौचालय की व्यवस्था :– बिन्दु संख्या 13 में मात्र भीलवाडा, हनुमानगढ़ एवं प्रतापगढ़ जिलो में ही शत–प्रतिशत पुरूष एवं महिलाओं के लिए मतदान केन्द्रों पर शौचालय की व्यवस्था दर्शायी गई। शेष जिलो में अत्याधुनिक सरकारी भवनों के निर्माण, हाल ही में प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना के अन्तर्गत घर–घर शौचालय के निर्माण को मध्यनजर रखते हुए मतदान केन्द्रों पर महिला व पुरूषों के लिए शौचालय की व्यवस्था न होने की सूचना की ओर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

10. रैम्प की व्यवस्था (14) :– भीलवाडा, धौलपुर, हनुमानगढ़, प्रतापगढ में मतदान केन्द्रों पर शत–प्रतिशत रैम्प दर्शाये गये है। हालांकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय–समय पर विशेष तौर से मतदान दिवस के अवसर पर जहॉ स्थाई रूप से भवन में रैम्प नहीं वहॉ मतदान भवन में अस्थाई तौर पर रैम्प की व्यवस्था की जाती है। जिन मतदान भवनों में रैम्प स्थापित नहीं है वहॉ इस ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है।

11. मतदान भवन में आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धता (15) :– ज्यादातर मतदान केन्द्र सरकारी भवनों में ही उपलब्ध है जहॉ पर्याप्त मात्रा में फर्नीचन का अभाव के आंकडे दर्शाया जाना सही प्रतीत नहीं होता है जिस पर पुर्नविचार किए जाने की आवश्यकता हैं।

13. मतदान केन्द्र भवन तक सडक की उपलब्धता (17) :– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गॉव–गॉव एवं ढाणी–ढाणी सडके/ग्रेवल रोड तथा सिमेंट सडको का निर्माण कार्य गत कई वर्षों से निर्माणाधीन है उसके उपरान्त भी बहुत से जिलों में काफी संख्या में मतदान केन्द्र सडक विहिन स्थानों पर स्थापित होना दर्शाया जाना सत्यता से परे प्रतीत होता है।

15. मतदान भवनों पर भवन के नाम का प्रदर्शन (22) :– तकरीबन समस्त मतदान केन्द्र या तो सरकारी भवनों में, निजी संस्थाओं के भवनों में स्थापित है जिन पर भवनों के नामों का अंकन होता है उसके उपरान्त कुछ जिलों यथा बीकानेर, चूरू, धोलपुर, कोटा एवं नागौर को छोड़कर मतदान केन्द्रो के भवनों पर नाम का संकेत नहीं दर्शाने की संख्या का अंकन का पुनरावलोकन किया जाना प्रस्तावित है।

16. नक्सली/विद्रोह प्रभावित क्षेत्र :– बिन्दु संख्या 23 में अलवर, बासंवाडा, बारां, बाडमेर, नागौर, भरतपुर, भीलवाडा, बून्दी, चित्तौडगढ, गंगानगर, हनुमानगढ, जयपुर जालोर, सिरोही आदि जिलो में LWE/insurgency प्रभावित क्षेत्र का अंकन किया गया है। जबकि राज्य में ऐसा कोई घोषित क्षेत्र है ही नहीं।

ECI NET पोर्टल पर मतदान केन्द्रों पर न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं AMF के क्रम में 26 तरह की सूचनाएं जिलों द्वारा आकडे अपलोड किए है। वर्ष 2016 के मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन से पूर्व मतदान केन्द्रों की AMF को ध्यान में रखते हुए, भौतिक सत्यापन करवाया गया था तत्पश्चात भौतिक सत्यापन के आधार पर मतदान केन्द्रों पर AMF उपलब्ध नहीं है उन मतदान भवनो को AMF युक्त भवन में मतदान केन्द्र स्थापित करने के उपरान्त पुनर्गठन/ स्थान परिवर्तन को प्रस्तावों पर AMF की टिप्पणी के पश्चात ही प्रस्ताव भिजवाने पर विभाग द्वारा स्वीकार कर आयोग से अनुमोदित प्राप्त किया था। इसके उपरान्त अद्यतन स्थिति के अनुसार ECI NET पर जिलो द्वारा AMF की कमी वाले मतदान केन्द्रों की संख्या काफी मात्रा में दर्शाना विरोधाभाष प्रतीत होता है। इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि ECI NET पर AMF के इन आकड़ों का पुनरावलोकन करते हुए अद्यतन सूचना दिनांक 28.02.2017 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः– AMF रिपोर्ट।

भवदीया,

(डॉ0 रेखा गुप्ता)
अति0 मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

Report on Assured Minimum Facility (AMF) details fed by districts shown on ECINET Portal

District	1 Quality of Building	2 Whether the Polling booth area is more than 20 sq. mts.	3 Whether the building is dilapidated or dangerous?	4 Whether polling station is in Govt building/Premises ?	5 Whether polling station is located in a institution/religious place ?	6 Whether polling station is in School/College building ?	7 Whether polling station is on ground floor ?	8 Whether Separate door for Entry and Exit available ?	9 Any political party office is situated within 200 meters of PS premises ?	10 Whether drinking water facilities exist in the polling station premises ?	11 Whether the building has Electricity Supply ?	12 Whether the building has Proper lighting, Fixtures etc ?	13 Whether the building has Toilet(Male/Female) ?	14 Whether ramps have been provided ?	15 Whether the building has Adequate Furniture ?	16 Whether there is a shade/shelter for protection from sun/rain etc. ?	17 Whether there is a Proper road connectivity ?	18 Whether voters have to cross river/valley/ravine or natural obstacle to reach PS ?	19 Whether the polling station has Landline Telephone/fax Connection ?	20 Whether the polling station has Mobile connectivity ?	21 Whether the polling station has Internet facility ?	22 Whether the PS has Proper signage of Building name and address ?	23 Whether the polling station is Within LWE/insurgency affected area ?	24 Whether the polling station is Within forest/semi-forest area.?	25 Whether the polling station is vulnerable critical location ?	26 Whether the polling station is Sensitive/hyper sensitive ?
	Kaccha	NO	YES	NO	YES	NO	NO	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES
1-AJMER	0	43	0	145	4	37	0	319	42	2	86	25	8	18	139	89	1	3	1445	6	1503	1	0	0	18	26
2-ALWAR	18	2	241	234	518	44	4	45	603	49	198	78	11	92	146	58	15	37	2350	27	2254	16	71	12	141	357
3-BANSWARA	0	28	80	12	369	41	45	412	120	65	296	293	58	51	144	278	18	140	1057	67	977	21	65	61	77	78
4-BARAN	1	137	38	12	40	12	1	70	63	45	273	301	112	44	264	154	18	55	941	10	874	29	2	0	24	19
5-BARMER	3	100	32	6	24	35	4	48	344	26	312	234	17	30	50	35	66	34	2004	91	1777	93	5	2	45	70
6-BHARATPUR	230	0	233	65	296	56	1	16	677	170	244	199	18	45	171	170	11	12	1470	7	1356	39	9	7	362	390
7-BHILWARA	1	29	2	0	1	62	0	51	4	2	177	134	0	0	1	9	0	1	1267	1	1097	0	3	0	4	2
8-BIKANER	1	156	17	170	28	131	5	139	216	9	75	61	18	74	64	185	15	11	1314	41	1305	25	0	0	0	128
9-BUNDI	1	33	33	26	5	20	21	508	152	1	154	124	4	4	110	21	2	6	696	49	760	21	5	48	47	86
10-CHITTORGARH	0	0	0	10	5	23	0	31	0	9	96	109	5	2	62	33	3	0	1077	8	875	7	24	73	101	191
11-CHURU	0	0	0	180	363	108	295	122	0	15	57	34	17	91	127	93	5	1	867	84	741	0	0	0	0	1
12-DAUSA	0	3	0	4	0	45	1	87	12	9	468	485	3	2	289	59	10	2	1070	6	1091	1	0	0	0	58
13-DHOLPUR	0	0	0	20	4	15	0	48	0	46	466	294	5	0	231	97	0	0	868	6	865	0	0	0	0	0
14-DUNGARPUR	0	6	0	0	0	2	1	321	36	14	55	26	19	31	52	56	15	60	762	86	744	58	0	0	0	0
15-GANGANAGAR	1	157	43	87	62	69	3	41	345	2	15	16	4	3	11	68	3	115	877	16	879	9	4	5	41	8
16-HANUMANGARH	4	0	2	3	8	33	0	10	161	0	5	147	0	0	19	22	0	2	619	4	462	3	147	0	377	343
17-JAIPUR	0	395	0	853	348	295	12	1187	465	83	486	146	33	111	378	584	3	207	3293	20	3410	35	8	3	82	440
18-JAISALMER	0	171	0	5	1	10	0	8	0	5	111	21	19	7	38	30	36	0	556	84	456	54	0	20	0	17
19-JALORE	6	171	20	4	71	4	8	142	610	6	79	58	4	1	34	303	9	280	915	10	779	12	47	3	49	63
20-JHALAWAR	2	0	0	0	2	10	2	156	332	45	385	121	9	12	337	189	17	0	776	35	1051	22	1	1	50	47
21-JHUNJHUNU	0	1	3	103	0	60	0	86	31	14	29	21	4	30	34	37	11	3	954	19	1084	8	2	0	2	153
22-JODHPUR	1	82	9	263	39	95	220	224	280	14	303	11	21	155	486	82	19	3	1412	29	1553	63	1	0	24	103
23-KARAULI	0	2	2	26	9	36	5	5	50	16	332	169	21	9	336	31	1	1	928	53	943	11	0	2	0	2
24-KOTA	0	14	3	151	14	59	8	555	3	2	142	144	3	46	158	342	2	2	786	29	596	0	0	4	17	17
25-NAGAUR	1	85	0	50	23	41	0	297	4	0	166	16	5	2	45	35	1	1	1640	2	1585	0	0	0	0	263
26-PALI	1	8	2	52	13	36	2	175	49	12	52	12	8	16	81	7	3	14	1033	15	976	4	0	9	1	113
27-PRATAPGARH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208	0	565	1	0	0	0	0
28-RAJSAMAND	1	18	0	5	9	9	2	162	8	0	81	36	1	3	300	3	1	2	825	29	876	2	0	0	44	97
29-SAWAI MADHOPUR	0	2	3	49	2	26	3	37	5	35	146	53	5	13	190	68	3	6	868	2	877	220	0	2	113	84
30-SIKAR	72	25	236	160	238	44	1	87	272	67	163	114	19	147	93	86	68	268	1445	11	1453	18	4	7	18	84
31-SIROHI	0	57	43	11	50	37	12	225	45	24	61	58	18	18	100	75	12	144	465	52	449	21	15	32	21	60
32-TONK	0	2	0	56	6	80	0	113	24	23	67	20	4	7	62	17	2	0	994	6	816	43	0	0	0	73
33-UDAIPUR	0	57	85	134	101	67	1	1163	108	76	447	531	38	94	374	329	41	281	1517	247	1503	37	0	242	106	158